HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02 the 15th February, 2016

No. EDN-A-Ka(1)-2/2012-L-Pt.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to open a **Government Degree College, Dhami at 16 Mile, Distt. Shimla (H.P.)** with effect from the next academic session 2016-17 i.e. from the session June, 2016, in public interest.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Education).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 19 फरवरी, 2016

संख्याः टी0सी0पी0–एफ(5)–6/2013.––"श्री नैना देवी जी योजना क्षेत्र" का गठन हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0सी0पी0–एफ(5)–6/2013 तारीख 28.01.2014 द्वारा कर दिया गया था;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त योजना क्षेत्र की कोई आवश्यकता नहीं है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते है कि "श्री नैना देवी जी योजना क्षेत्र", इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से योजना क्षेत्र नहीं रह जाएगा।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा
अति0 मुख्य सचिव (टी0सी0पी0)

[*Authoritative English Text of government notification No. TCP-F (5)-6/2013 Dated 19.2.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constituion of India.*]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 19th February, 2016

No. TCP-F(5)-6/2013.—WHEREAS, **'Shri Naina Devi Ji Planning Area'** was constituted under subsection (1) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) vide this Department Notification No.TCP-F(5)-6/2013 dated 28.01.2014;

AND WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that there is no need of aforesaid Planning Area;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (2) of section 13 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare that the **'Shri Naina Devi Ji Planning Area'** shall cease to be a Planning Area from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

By order,
MANISHA NANDA,
Addl. Chief Secretary (TCP).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

नोटिस : श्री विजय प्रताप पुत्र श्री लच्छमण दास, वासी टीका खन्देहडा, डा0 ककडियार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः—प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

प्रार्थी श्री विजय प्रताप पुत्र श्री लच्छमण दास, वासी टीका खन्देहडा, डा0 ककडियार, बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र सशपथ दिया है कि उसके पुत्र अंकुश शर्मा जिसका जन्म दिनांक 25—10—1990 को हुआ है परन्तु स्थानीय ग्राम पंचायत नाडसीं में जन्म तिथि पंजीकृत न है। जिसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 4—1—2016 को प्रातः 11.00 बजे असालतन/वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते है। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न होने की अवस्था में आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और मुताबिक शपथ पत्र व रिपोर्ट अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु एवं चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के अन्तर्गत उक्त जन्म तिथि को पंजीकृत किए जाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08—12—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।